



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2021
फाल्गुन 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 458/9-1-2021-299सा-2018
लखनऊ, 25 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-74

चूँकि संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के परन्तुक की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 1269/9-1-2019-299सा-2018, दिनांक 14 सितम्बर, 2019 को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली त्योहार के पश्चात् द्वितीय रविवार से 30 दिनों तक के लिये आयोजित होने वाले नौचन्दी मेला को प्रान्तीयकृत मेला घोषित करती हैं। उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध नीचे विस्तृत रूप से वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

क्षेत्र का विवरण

उत्तर-जिला पंचायत आवासीय कालोनी और चैतन्यपुरम (कैलाशपुरी) कालोनी।

दक्षिण-मोहसिन मस्जिद और जैदी नगर सोसायटी।

पूरब-नादिर अली की कोठी एवं कब्रिस्तान।

पश्चिम-हापुड-मेरठ रोड।

आज्ञा से,

डॉ० रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 458/IX-1-2021-299SA.-2018, dated February 25, 2021 for the information general public..

No. 458/IX-1-2021-299SA.-2018

Dated Lucknow, February 25, 2021

WHEREAS, Government notification no. 1269/IX-1-2019-299SA-2018 was published in the *Gazette* dated September 14, 2019 with a view to inviting objections and suggestions thereon as required in the proviso to section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. XVI of 1938);

AND, WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated time.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Melas Act, 1938 (U.P. Act no. XVI of 1938), the Governor is pleased to declare Mela Nauchandi, held for 30 days from second Sunday after Holi Festival every year in district Meerut, as provincial mela. All the provisions of the said Act shall come into operation during the said period in the area detailed below :-

Details of the Area

North—District Panchayat Housing Colony and Chaitanyapuram (Kailashpuri) Colony.

South—Mohsin Masjid and Jaidi Nagar Society.

East—Nadir Ali's Kothi and Kabristan.

West—Hapur-Meerut Road.

By order,
Dr. RAJNEESH DUBE,
Apar Mukhya Sachiv.